कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, फिरोजाबाद।

संख्याः– 953/जि0आ0अधि0/फिरो0/व्यवस्थापन वर्ष 2021–22/ई–लाटरी द्वितीय चरण/दिनांकः 20-02-2021

विज्ञप्ति

वित्तीय **वर्ष 2021–22** की घोषित आबकारी नीति **शासनादेश संख्या–03/2021/155 ई–2/तेरह–2020–02/2020 लखनऊःदिनांक 08.01.2021 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–21017/दस–लाइसेंस–367/आबकारी नीति/वर्ष 2021–22/दिनांकःप्रयागराजःजनवरी, 09, 2021** द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुक्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–फिरोजाबाद में वर्ष 2021–22 हेतु ई–लाटरी के प्रथम चरण के पश्चात अवशेष अव्यवस्थित **विदेशी मदिरा की 02 दुकानें** व **बियर की 01 दुकान** फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन **ई–लाटरी के द्वितीय चरण** की प्रकिया से **दिनांक 23.02.2021 (मध्यान्ह 12:00 बजे)** से प्रारम्भ होगा तथा ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की **अन्तिम तिथि 26.02.2021 (सांय 05:00 बजे)** तक ई–लाटरी पोर्टल **www.upexciseelottery.gov.in** पर ऑनलाइन आमत्रित किये जाते है। द्वितीय चरण की ई–लाटरी **दिनांक 02.03.2021 समय 12:30 बजे** से समाप्ति तक जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित स्थल पर सम्पन्न होगी।

1– वर्ष 2021–22 हेतु **देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, की प्रोसेसिंग फीस रू0 20000/–** तथा **मॉडल शाप की प्रोसेसिंग फीस रू0 30000/–** तथा **भांग की प्रोसेसिंग फीस रू0 6000/–** निर्धारित की गयी है, जिसका भुगतान ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा।

2– आबकारी दुकानों के अनुज्ञापन के इच्छुक आवेदको को सर्वप्रथम ई–लाटरी प्रणाली से सम्बन्धित पोर्टल **www.upexciseelottery.gov.in** पर अपना पंजीकरण करना होगा। **वर्ष 2021–22** हेतु नवीनीकृत हुई दुकानों के अनुज्ञापियों का उपरोक्त पंजीयन अनुमन्य नही किया गया है बल्कि उन्हें नवीनीकरण की प्रकिया में उपलब्ध कराये गये यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग कर लागिन करते हुए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा होगी। किन्तु यह नियम उन आवेदको पर लागू नही होगा जो उ0प्र0 में अपने नाम से निर्धारित अधिकतम दो दुकानों का नवीनीकरण करा चुके हो ऐसे आवेदक किसी भी दुकान पर आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

3– पंजीकरण हेतु सर्वप्रथम आवेदक को अपना पैन नम्बर एवं मोबाइल नम्बर भरना होगा। यह कार्य करते ही आवेदक के मोबाइल नं0 ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा जिसे उसके द्वारा निर्धारित स्थान पर भरना आवश्यक होगा, जिसके उपरान्त रजिस्ट्रेशन पेज खुल जायेगा, जिसमें आवेदक को वांछित सूचना सावधानी पूर्वक भरनी होगी।

4– उपरोक्त सूचनाओं को सबमिट करने पर आवेदक को रजिस्ट्रेशन आई0डी0 व पासवर्ड उसके मोबाइल नम्बर/ई मेल पर प्राप्त हो जायेगी।

5– उक्त रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड के आधार पर पंजीकृत आवेदक पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। प्रथम लॉगिन करने पर आवेदक को अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहा जायेगा। आवेदक को अपना नया व गोपनीय पासवर्ड बनाना होगा तथा भविष्य में पंजीकृत संख्या नये पासवर्ड के आधार पर ही पोर्टल पर लॉगिन सम्भव होगा।

6– पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदक द्वारा अपनी इच्छानुसार किसी भी जनपद की देशी शराब, विदेशी मदिरा ,बियर एवं मॉडल शॉप्स से सम्बन्धित प्रदर्शित विवरण यथा दुकान का नाम, एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेंस फीस, लाईसेंस फीस, प्रोसेसिंग फीस, धरोहर धनराशि, आवश्यक न्यूनतम हैसियत प्रमाण पत्र/धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा प्रतिभूति धनराशि आदि को देखा जा सकता है और इन सूचनाओं के आधार पर वह ऐच्छिक आवेदन कर सकता है ।

7– आवेदन करते समय आवेदक को निर्धारित फारमेट एवं साइज (जो पोर्टल पर उपलब्ध होगा) की अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, हैसियत प्रमाण पत्र/धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड , विगत वर्ष की आयकर विवरणी, धरोहर धनराशि के ड्राफ्ट एवं शपथ पत्र की फाइल कम्प्यूटर/पैन ड्राइव में तैयार रखनी होगी, ताकि अपलोड करते समय यह अभिलेख उसके पास उपलब्ध रहें।

8– सहआवेदक के साथ दुकान पर आनलाइन आवदेन अनुमन्य नही है। अतः एकल आवेदक ही किसी दुकान हेतु आवदेन कर सकेगा। एक दुकान पर एक आवदेक द्वारा एक से अधिक आवेदन स्वीकार्य नही होगे। आवेदक द्वारा आनलाइन जमा की गयी प्रोसेसिंग फीस किसी भी दशा में वापस नही की जायेगी।

9– आवेदक द्वारा भरे हुए आवदेन पत्र का प्रिन्ट लेने की सुविधा होगी तथा प्रोसेसिंग फीस का भुगतान किये जाने से पूर्व वह अपने आवेदन में संशोधन (पंजीकरण विवरण को छोडकर) भी कर सकता है, लेकिन यदि उसके द्वारा

Scanned by CamScanner

प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिया गया है तो कोई भी संशोधन अनुमन्य नही होगा। आवेदन करने के उपरान्त आवेदक द्वारा किये गये आवेदन का प्रिन्ट तथा निर्धारित धनराशि का अपलोड किया गया ड्राफ्ट 48 घन्टे के अन्दर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, फिरोजाबाद में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10— आवदेकों को सभी कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात एक पावती रसीद, जिसमें समस्त आवश्यक सूचनायें अंकित होगी, प्राप्त होगी जिसका वह प्रिन्ट ले सकता है।

11— आवेदक पुनः अन्य ऐच्छिक दुकान हेतु भी उपरोक्तानुसार प्रकिया सम्पादित करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

उक्त के अतिरिक्त **द्वितीय चरण ई–लाटरी** के व्यवस्थापन हेतु मदिरा दुकानों का विस्तृत विवरण का तैयार चार्ट संलग्न है। विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी, फिरोजाबाद के कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से उनके कार्यालय में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। ई–लाटरी से सम्बन्धित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेवसाइट **www.upexciseelottery.gov.in** एवं जनपद फिरोजाबाद की वेबसाइट **http// firozabad.nic.in** पर देखा जा सकता है। उपरोक्त में कोई भी लिपिकीय त्रुटि संशोधनीसय है।

–ःद्वितीय चरण की ई–लाटरी के व्यवस्थापन हेतु समय सारणीः–

विवरण	निर्धारित अवधि व समय
ई–लाटरी हेतु मदिरा दुकानों का ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि	दिनांक 23.02.2021 के मध्यान्हः 12:00 बजे से 26.02.2021 को सांय 05.00 बजे तक।
द्वितीय चरण ई–लाटरी खुलने की तिथि/समय एवं स्थल	दिनांक 02.03.2021 को अपरान्हः 12:30 बजे से समाप्ति तक कलैक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्पन्न होगी।

उपरोक्त आबकारी दुकानों/ई–लाटरी के सम्बन्ध में प्रारिथति व अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, फिरोजाबाद अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है, जिनके मोबाइल नम्बर **9454466358, 9454466359, 9450012314 व 9058113803** है।

जिला आबकारी अधिकारी,
फिरोजाबाद।

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद।

संख्या/तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रयागराज।
2— अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) फिरोजाबाद।
3— संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा जोन, आगरा।
4— उप आबकारी आयुक्त, आगरा प्रभार, आगरा।
5— समस्त उप जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि सार्वजनिक ई–लाटरी का व्यापक प्रचार–प्रसार करने तथा तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6— नाजिर सदर, कलैक्ट्रेट फिरोजाबाद को इस आशय से कि इसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें तथा **दिनांक 02.03.2021 को अपरान्ह 12:30 बजे** से होने वाली आबकारी दुकानों की **ई–लाटरी** हेतु सभाकक्ष में आवश्यक व्यवस्था कराने का कष्ट करें।
7— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन जनपद की वेब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

जिला आबकारी अधिकारी,
फिरोजाबाद।

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, फिरोजाबाद।

वर्ष 2021–22 की द्वितीय चरण की ई–लाटरी हेतु विदेशी मदिरा दुकानों का विवरण।

कं0	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	शाप आई0डी0	Circle Type	After 5000 Roundup License Fees For This Year 2021-22	Security Money Year 2021-22	Solvency Value Required Year 2021-22	Earnest Money Year 2021-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	टूण्डला नं0–2	न0पा0	25160	C-4	2270000	227000	2270000	227000
2	नगला ईश्वरीमार्ग (एस0एच0–31 से 220 मी0)	ग्रा0	25225	C-4	1580000	158000	1580000	158000
	कुल योग।				3850000	385000	3850000	385000

जिला आबकारी अधिकारी,
फिरोजाबाद।

जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी
फिरोजाबाद।

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, फिरोजाबाद।

वर्ष 2021–22 की द्वितीय चरण ई–लाटरी हेतु बियर दुकानों का विवरण।

कमांक	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	शाप आई०डी०	Circle Type	Licence Fee 2021-22	Security Money 2021-22	Solvency Value Required 2021-22	Earnest Money 2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**फिरोजाबाद बाईपास जलेसर चौराहा**	न०नि०	**17652**	C-1	995000	99500	995000	99500
	कुल योग।				**995000**	**99500**	**995000**	**99500**

जिला आबकारी अधिकारी,
फिरोजाबाद।

जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
फिरोजाबाद।

Scanned by CamScanner